रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग —खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 47] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 3, 1975/माघ 14, 1896
No. 47] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 3, 1975/MAGHA 14, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 3rd February 1975

S.O. 68A(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Imports (Control) Order 1955, namely:—

(i) This order may be called the Imports (Control) First Amendment Order 1975.

(ii) In the Imports (Control) Order, 1955—

The existing proviso under clause 11(g) shall be substituted by the following:— :

"Provided further that where any goods are exempted under this sub-paragraph, the exemption shall be subject to the condition that such goods shall not be sold, displayed, advertised or offered for sale or displayed in a shop, until

(a) in case of fire-arms and TV Sets, they have been used for a period not less than ten years and five years respectively from the date of clearance by such persons or passenger or member of the crew, or

(b) in the case of other goods when market-price has depreciated to less than 50 per cent of their market-price when new.

(No. 2-ITC(PN)/1975)

B. D. KUMAR,

Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 1975

का०आ० 68 ए (अ).—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) की धारा 3 में प्रदत अधिकारों का प्रयोग कर केन्द्रीय सरकार आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है, अर्थात् :—

1. इस आदेश को आयात (नियंत्रण) प्रथम संशोधन आदेश, 1975 की संज्ञा दी जाए ।

2. आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 में धारा 11 (जी) के अन्तर्गत वर्तमान उपबन्ध को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए:—

"बशर्ते आगे यह कि इस उप-कंडिका के अन्तर्गत जहां कोई भी माल छूट प्राप्त कर लेते हैं तो छूट इस शर्त के अधीन होगी कि ऐसे माल तब तक बेचें, प्रदर्शित, विज्ञापित अथवा बेचने के लिए प्रस्तुत अथवा दुकान में बेचने के लिए प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे जब तक कि

(ए) अग्न्यस्त्र एवं टीवी सैटों के मामले में वे ऐसे व्यक्तियों अथवा यात्री अथवा कर्मी दल के सदस्य द्वारा निकासी की तारीख से क्रमशः 10 वर्ष एवं 5 वर्ष तक की अवधि के लिए प्रयोग कर लिए गए हों अथवा

(बी) अन्य माल के मामले में उनकी मार्किट कीमत जब वे नए थे, उस समय की मार्किट कीमत की तुलना में 50 प्रतिशत से कम घट गई हो ।

[2-आई०टी०सी० (पी०एन०)/1975]

बी० डी० कुमार,
मख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975